उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

LiFE Lifestyle for Environment

पत्रांक संख्या– H14885/सी–5/172/O.A.no-117/2024 दिनांक 26/07/2024

To,

The Registrar General,
Principal Bench,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg, New Delhi-110001

Sub: Submission of Action Taken Report on behalf of Uttar Pradesh Pollution Control Board in order dated 03.04.2024 passed by Hon'ble NGT Principal Bench, New Delhi in Original Application No. 117 of 2024 Inre: News item titled "Nawabganj Dird Sanctuary Not (bird's) paradise lost yet but solace becoming a casualty" appearing in The Hindustan Times dated 25.12.2023.

Sir,

In compliance to the order dated 03.04.2024 passed by this Hon'ble National Green Tribunal in Original Application No. 117 of 2024 Inre: News item titled "Nawabganj Dird Sanctuary Not (bird's) paradise lost yet but solace becoming a casualty" appearing in The Hindustan Times dated 25.12.2023, the Action Taken Report on behalf of Uttar Pradesh Pollution Control Board is hereby attached with a request that the same may be put up before Hon'ble National Green Tribunal for kind perusal and consideration.

Enclosure: As above.

Your's Sincerely,

(Dr. Ram Karan)
Chief Environmental Officer,
Circle-5

Copy to:

1. Shri Amit Shukla, Advocate for UPPCB.
2. Chief Law Officer (Incharge), UPPCB, Lucknow.
3. Regional Officer, UPPCB, Unnao.

Chief Environmental Officer,
Circle-5

टी.सी.–12 वी., विभूति खण्ड,
गोमतीनगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेवसाइट -www.uppcb.com

TC-12-V, VibhutiKhand
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web site www.uppcb.com

Action Taken Report on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board in compliance to the order dated 03-04-2024 passed by the Hon'ble National Green Tribunal in O.A. No. 117/2024 In re: News item titled "Nawabganj Bird Sanctuary Not (bird's) paradise lost yet but solace becoming a casualty" appearing in The Hindustan Times dated 25.12.2023

Action Taken Reporton behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board in compliance to the order dated 03-04-2024 passed by the Hon'ble National Green Tribunal in O.A. No. 117/2024 In re: News item titled "Nawabganj Bird Sanctuary Not (bird's) paradise lost yet but solace becoming a casualty" appearing in The Hindustan Times dated 25.12.2023

1. That the Hon'ble NGT in O.A. No. 117/2024 In re: **News item titled "Nawabganj Bird Sanctuary Not (bird's) paradise lost yet but solace becoming a casualty"** appearing in The Hindustan Times dated 25.12.2023vide its order dated 03.04.2024 ,passed the following directions:

"……Once, UPPCB has found that noise level was higher than the prescribed standards in certain areas. Responsibility lies with UPPCB to find out the source of such noise pollution and take remedial action including punitive action against the violators. 5. Learned Counsel appearing for UPPCB has submitted that now remedial and punitive action will be taken. Hence, original application is disposed of, directing the UPPCB to take appropriate remedial and punitive action against the violators and file action taken report before Registrar General of the Tribunal within three months. If found necessary, the matter will be listed before the Bench for consideration…… "

1. That the Uttar Pradesh Pollution Control Board vide its letter dated 28.05.2024 issued direction to the District Magistrate, Unnao and NHAI, Lucknowforconsidering the fact thatthe Nawabganj Bird Sanctuary, Unnao is a sensitive area, activities of establishment of signboards of "No Honking Zone", declaration of Silence Zone at the nearby area of the Bird Sanctuary or other activities may be under taken for control of Noise Pollution. Copy of letter dated 28.05.2024 is annexed as **Annexure No 01.**
2. That a meeting under the chairmanship of the District Magistrate, Unnao on hybrid mode was heldon 10.06.2024 with the officials of the Forest Department, Unnao, NHAI Lucknow, Tourism Department, Unnao and Police Department, Unnao.
3. That during meeting following directions were passed by the District Magistrate,Unnao: -
    - Signboards of "No Honking Zone" is to be established by NHAI in the nearby area of the Nawabganj Bird Sanctuary, Unnao.
    - Declaration of Silence Zone at the nearby area of the Bird Sanctuary.

- Police Department is to investigate sources of noise pollution around the 100-meter area of the Bird Sanctuary and take remedial action to stop noise pollution activities.
- Forest Department, Unnao shall develop green belt with big trees surround the roads of Bird Sanctuary to reduce the effect of noise pollution.

4. That Project Director, NHAI, Lucknow vide letter dated 26/25.06.2024 has informed that Signboards of "No Honking Zone" are established by NHAI in the nearby area of the Nawabganj Bird Sanctuary, Unnao. Copy of the letter dated 26/25.06.2024 with photograph of Signboards of "No Honking Zone" is annexed as **Annexure No 02.**
5. That the Additional Chief Secretary, Department of Environment Forest & Climate Change, Govt of UP, vide letter dated 06.04.2022 has issued direction to the District Magistrates to provide a proposal regarding notification of Silence Zone for sensitive areas in their respective areas. The above letter dated 06.04.2022 is also copied to UPPCB with direction to co-ordinate with District Magistrates and to send proposal of Silence Zone. Copy of the letter dated 06.04.2022 is annexed as **Annexure No 03.**
6. That in compliance to the direction passed by Hon'ble NGT in O.A. No. 117/2024 and direction issued by Department of Environment Forest & Climate Change, Govt of UP, the District Magistrate, Unnao vide letter dated 16.06.2024 has proposed 100-meter area around Nawabganj Bird Sanctuary, Unnao as Silence Zone under section 3(5) of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules 2000 as amended. Copy of the letter dated 16.06.2024 is annexed as **Annexure No 04.**
7. That UPPCB vide letter dated 09.07.2024 has sent a proposal of District Magistrate, Unnao to Department of Environment Forest & Climate Change, Govt of UP,for notification of Silence Zone around 100-meter area of the Nawabganj Bird Sanctuary, Unnao under section 3(5) of Noise Pollution (Regulation and Control) Rules 2000 as amended. Copy of the letter dated 09.07.2024 is annexed as **Annexure No 05.**
8. That Joint Committee comprising of Police Officer, Ajgain , Unnao , UPPCB, Unnao , Naib Tehsildar Unnao has conducted joint inspection on 26.06.2024 around 100 meter area of Nawabganj Bird Sanctuary, Unnao to identify Noise Pollution sources. The Committee has found that in the 100-meter area of the

Bird Sanctuary there is one National Highway (NH25) near 66 meters in East direction and in the East- South direction there is Kewana Road at 83 meters. There are no other noise pollution activities found in the 100-meter area of the Nawabganj Bird Sanctuary, Unnao. Copy of joint inspection dated 26.06.2024 is annexed as **Annexure No 06.**

9. That the Divisional Director, Forest Department, Unnao vide letter dated 26.06.2024 has informed that on the left track between Km 41-43 of Kanpur National highway, 250 Pakad/ Pilkhan saplings can be planted along with tree guards which will be helpful in reducing the intensity of Noise Pollution. A demand has been made for above mentioned tree plantation budget to the higher authorities; after receiving the budget, the work of intensive tree guards will be completed. Copy of the letter dated 26.06.2024 is annexed as **Annexure No 07.**

10. That Regional Office UPPCB, Unnao has conducted Noise Monitoring near the Nawabganj Bird Sanctuary, Unnao in the month of April- May 2024. As per the monitoring data the noise level is slightly higher than the prescribed limits under the schedule of Noise Pollution (Regulation and Control) Rules 2000 as amended. It is also necessary to mention here that the Noise level is decreased than the previous monitoring done on 12.03.2024 and 13.03.2024. Copy of Noise monitoring data for the month of April- May 2024 is annexed as **Annexure No 08.**

In compliance to the directions passed by the Hon'ble NGT in O.A. No. 117/2024 In re: **News item titled "Nawabganj Bird Sanctuary Not (bird's) paradise lost yet but solace becoming a casualty"** appearing in The Hindustan Times dated 25.12.2023 vide order dated 03.04.2024, above activities/ actions taken by the District Administration, Unnao to control the noise pollution in the nearby area of Nawabganj Bird Sanctuary, Unnao.

Therefore, the above Action Taken report on the behalf of Uttar Pradesh Pollution Control Board is submitted before the Hon'ble NGT for kind perusal and consideration.

26/07/24

(Dr. Ram Karan)
Chief Environmental Officer
(Circle-5)
UPPCB, Lucknow

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

LiFE Lifestyle for Environment

Annexure- 01

पत्रांक संख्या–111591 / सी–5 / 1721 OA N 117/2024 दिनांक 28/05/24

महत्वपूर्ण / एन.जी.टी. प्रकरण

सेवा में,

1. जिलाधिकारी,
   उन्नाव।
   M 9454417561

2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
   क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम, उ0प्र0,
   3/248, विशाल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–117/2024 News item titled "Nawabganj Bird Sanctuary Not (bird's) paradise lost yet but Solace becoming a casualty" appearing in the Hindustan Times dated 25.12.2023 में पारित आदेश दिनांक 03.04.2024 के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–117/2024 News item titled "Nawabganj Bird Sanctuary Not (bird's) paradise lost yet but Solace becoming a casualty" appearing in the Hindustan Times dated 25.12.2023 में पारित आदेश दिनांक 03.04.2024 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्परोक्त पारित आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

".........4. Once, UPPCB has found that noise level was higher than the prescribed standards in certain areas. Responsibilities lies with UPPCB to find out the source of such noise pollution and take remedial action including punitive action against the violators.

5. Learned counsel appearing for UPPCB has submitted that now remedial and punitive action will be taken. Hence, original application is disposed of, directing the UPPCB to take appropriate remedial and punitive action against the violators and file action taken report before Registrar General of the Tribunal within three months. If found necessary, the matter will be listed before the Bench for consideration.........."

प्रकरण में मा0 अधिकरण द्वारा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, को Violators के विरूद्ध Remedial and Punitive Action लिये जाने हेतु तथा कृत कार्यवाही की आख्या 03 माह के अन्दर मा0 अधिकरण में दाखिल किये जाने के आदेश पारित किये गये है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना सं0–का.आ 123(अ) दिनांक–14.02.2000 द्वारा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 यथासंशोधित प्रख्यापित किये गये है, जो दिनांक–14.02.2000 से प्रभावी है। उक्त ध्वनि नियम, 2000 के नियम–2(ग) में प्राविधानित है कि "प्राधिकारी" से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत प्रवृत्त विधियों के अनुसार. यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई प्राधिकारी या अधिकारी सम्मिलित है, इसके अंतर्गत तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ध्वनि के संबंध में परिवेशीय वायु क्वालिटी के मानकों के अनुरक्षण के लिए अभिहित जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्त या ऐसा कोई अन्य अधिकारी भी है जो पुलिस उप अधिक्षक की पंक्ति के नीचे का न हो।

यह कि ध्वनि नियम, 2000 के नियम–4(2) में प्राविधानित है कि प्राधिकारी, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण उपायों के प्रवर्तन और ध्वनि से संबंधित परिवेशीय वायु क्वालिटी मानकों के सम्यक पालन के लिए उत्तरदायी होगा।

...2

मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ0ए0 न0– 117/2024 में पारित आदेश दिनांक–03.04.202 के अनुपालन हेतु शहीद चन्द्र शेखर आजाद वन अभ्यारण (Bird Century) जो कि एक इको संवेदनशील जोन है, में ध्वनि प्रदूषण की समस्या के समाधान हेतु वन अभ्यारण के समीप NO HONKING ZONE की होडिंग स्थापित किये जाने, वन अभ्यारण को शान्त क्षेत्र घोषित किये जाने तथा वन अभ्यारण के समीप निर्माण कार्य अथवा अन्य उपाये से ध्वनि प्रदूषण की समस्या के निदान कि कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करे, जिससे कृत कार्यवाही से मा0 एन0जी0टी0 को अवगत कराया जा सके।

भवदीय,

(संजीव कुमार सिंह)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, अनुभाग–7, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, यातायात एवं परिवाहन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, दही चौकी, उन्नाव।
4. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, निकट–हुसैन नगर, कानपुर–लखनऊ बाईपास, उन्नाव।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए मा0 एन.जी.टी., नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या ससमय प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

सदस्य सचिव

Annexure - 02

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, लखनऊ / Project Implementation Unit, Lucknow
2/5, विक्रान्त खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (उ0प्र0)
2/5, Vikrant Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010 (U.P.)
दूरभाष / Phone : 91-522-4571399, ई-मेल / E-mail : luc@nhai.org, वेबसाइट / Website : www.nhai.gov.in

भा रा रा प्रा
NHAI

पत्रांक: NHAI/PIU/Lko/NH-27 (old NH-25)/2024/SM/ 716

दिनांक: ~~25~~ 26 / 06 / 2024

सेवा में,

सदस्य सचिव
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
टी.सी.–12 वी, विभूति खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ।

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–117/2024 News item titled "Nawabganj Bird Sanctuary Not (bird's) paradise lost yet but Solace becoming a casualty" appearing in the Hindustan Times dated 25.12.2023 में पारित आदेश दिनांक 03.04.2024 के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः
1. आपके कार्यालय पत्रांक NH591/सी–5/172/OAN117/2024 दिनांक 25/05/2024 दिनांक 25/05/2024
2. क्षेत्रीय अधिकारी–उ0प्र0(पश्चिम), भा.रा.रा.प्रा. लखनऊ का पत्रांक 23367 दिनांक 07.06.2024
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव, का पत्रांक 205 दिनांक 16.06.2024

महोदय,

कृपया उपरोक्त पत्र का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें जिसके माध्यम से मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–117/2024 में पारित आदेश दिनांक 03.04.2024 के अनुपालन हेतु शहीद चन्द्र शेखर आजाद वन अभ्यारण्य (Bird Sanctuary) में ध्वनि प्रदूषण की समस्या के समाधान हेतु वन अभ्यारण्य के समीप NO HONKING ZONE की होर्डिंग स्थापित किये जाने की अपेक्षा की गई है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपरोक्त वन अभ्यारण्य (Bird Sanctuary) के समीप NO HONKING ZONE की होर्डिंग स्थापित करा दी गई है। उक्त होर्डिंग की फोटोग्राफ आपके सुलभ सन्दर्भ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

CEO(C-S)

भवदीय,

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

Sk
27/06/24

(सौरभ चौरसिया)
परियोजना निदेशक

NDIEE

03/07/24

प्रतिलिपिः
1. जिलाधिकारी, उन्नाव।
2. क्षेत्रीय अधिकारी–उ0प्र0(पश्चिम), क्षेत्रीय कार्यालय, भा.रा.रा.प्रा. लखनऊ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उन्नाव।

INSTALLATION OF 'NO HONKING SIGNBOARDS'

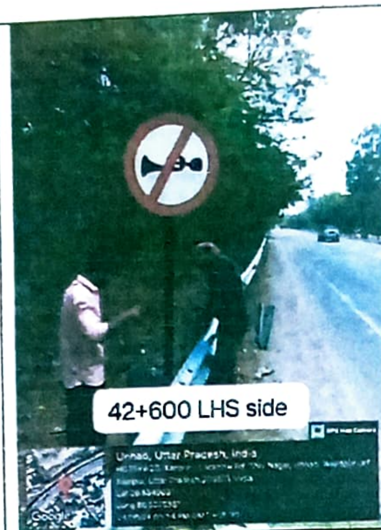

महत्वपूर्ण / सम

संख्या–252 / 81–6–2022–98(रिट) / 2017टी0सी

Annexure-03

प्रेषक,

मनोज सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जनपद–अलीगढ़, अम्बेडकरनगर, अमेठी, आजमगढ़, बलिया, बांदा, बाराबंकी, बस्ती, बदायूं, चंदौली, देवरिया, एटा, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गोण्डा, हापुड़, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, जौनपुर, झाँसी, कांशीराम नगर (कासगंज), कौशाम्बी, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, हाथरस, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, रामपुर, सम्भल, संतरविदास नगर (भदोही), सोनभद्र, सुल्तानपुर एवं उन्नाव, उ0प्र0।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–6 लखनऊःदिनांक : 06 ~~मार्च~~ अप्रैल, 2022

विषयः–ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 यथासंशोधित के अन्तर्गत शांत क्षेत्र घोषित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–11 / 2018 / 1215 / 55–पर्या–1–2018 –98(रिट) / 2017टी0सी0–1, दिनांक 10–07–2018, पत्र संख्या–808(2) / 81–6–2021, दिनांक 30–11–2021 एवं पत्र संख्या–124वि0स0(वन) / जी0, दिनांक 11–01–2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा शान्त क्षेत्र घोषित करने हेतु प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं, परन्तु इतना अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी अभी तक आपके जनपद का प्रस्ताव शासन को प्राप्त नहीं हुआ है।

2– उल्लेखनीय है कि शासन के विज्ञप्ति / आदेश संख्या–808 / 81–6–2021–98 (रिट) / 2017टी0सी0–2, दिनांक 11–11–2021 द्वारा 30 जनपदों के महत्वपूर्ण स्थलों को शान्त क्षेत्र / परिक्षेत्र घोषित किया जा चुका है।

3– अवगत कराना है कि पी0आई0एल0 संख्या–19390 / 2018 लखनऊ यूनिवर्सिटी वण्डालिज्म बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–02–2019 में शासन / जिला प्रशासन स्तर से कार्यवाही के बिन्दु इंगित हैं। ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 यथासंशोधित के नियम–3(4) में प्राविधानित है कि अस्पतालों, शैक्षिक संस्थानों और न्यायालयों इत्यादि महत्वपूर्ण स्थलों के आस–पास के कम से कम 100 मी0के क्षेत्र को इन नियमों के प्रयोजन के लिये शांत क्षेत्र / परिक्षेत्र घोषित किया जायेगा और उक्त नियम में यह भी प्राविधानित है कि कोई भी क्षेत्र शांत क्षेत्र तभी माना जायेगा जब राज्य सरकार द्वारा नियम–3(2) के अन्तर्गत अधिसूचित किया जायेगा।

–2–

ROPC/3
कृपया वांछित सूचना समय से भिजवायें।

अपर जिलाधिकारी
उन्नाव

4– प्रकरण में रिट पिटीशन सं0–15385(पी0आई0एल0)/2021 Noise Pollution through modified silencers (Suo moto) Vs. State of U.P. and others में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–12–2021 के अनुपालन के सम्बन्ध में प्रदेश में शान्त क्षेत्र घोषित किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जानी है।

5– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत प्रकरण में अपने जनपद के महत्वपूर्ण स्थलों को शांत क्षेत्र घोषित करने के सम्बन्ध में वांछित प्रस्ताव शासन को ई–मेल vsl809@gmail.com व ई–मेल soenvups@rediffmail.com पर विलम्बतम एक सप्ताह में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रकरण अति महत्वपूर्ण/मा0 न्यायालय के आदेशों से आच्छादित है। अतः आपका व्यक्तिगत ध्यान/समयबद्धता अपेक्षित है।

भवदीय,

(मनोज सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या–252(1)/81–6–2022, तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित जनपदों के क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देशित करें कि वे अपने प्रभार वाले जनपदों के अन्तर्गत संबंधित जिलाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर शांत क्षेत्र घोषित किये जाने का सुसंगत प्रस्ताव तत्काल शासन को प्रेषित कराया जाना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

(रवि शंकर मिश्र)
संयुक्त सचिव।

CEO 5

सलंग्नक-3

कार्यालय जिलाधिकारी, उन्नाव

Annexure – 04

सख्या – 206 / स्टा0 · 312 / 2024 दिनांक–16 जून, 2024

आदेश

अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–6 के पत्र स0–252 / 81–6–2022–98 (रिट) / 2017 टी0सी0–2 दिनांक 06 अप्रैल, 2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 यथासंशोधित के नियम–3(5) के प्राविधान के अन्तर्गत प्रदेश में अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थाओं और मा0 न्यायालयों के आस–पास कम से कम 100 मी0 के क्षेत्र को ध्वनि नियमों के प्रयोजन के लिये शांत क्षेत्र / परिक्षेत्र सरकार द्वारा घोषित किया जाना है। उक्त को अधिसूचित किये जाने हेतु जनपद के महत्वपूर्ण स्थलों को शांत क्षेत्र घोषित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रेषित करने के निर्देश प्राप्त है (संलग्नक–1)।

एतदद्वारा मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ0ए0 संख्या–117 / 2024 में पारित आदेश दिनांक–03.04.2024 के कम में ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 यथासंशोधित के नियम–3(5) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जनपद–उन्नाव के **शहीद चन्द्र शेखर आजाद वन अभ्यारण (Lird Century)** के आस–पास कम से कम 100 मी0 के क्षेत्र को ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 यथासंशोधित के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये ध्वनि नियमों के प्रयोजन के लिये शांत क्षेत्र / परिक्षेत्र करने हेतु वर्गीकृत कर प्रस्ताव प्रेषित किया जाता है। समस्त जिलास्तरीय अन्तर्विभागीय अधिकारियों को आदेशित किया जाता है कि उक्त शांत क्षेत्र के अन्तर्गत ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 यथासंशोधित के अन्तर्गत वर्णित प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये एवं उल्लंघन किये जाने पर तत्संबंधित उल्लंघनकारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाये। उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(गौरांग राठी)
जिलाधिकारी,
उन्नाव

R.O.

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

LiFE Lifestyle for Environment

पत्रांक संख्या–G43370/सी–5/172/O.A.N-117/24 दिनांक 09.7.24

Annexure-05

सेवा में,

अनु सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, अनुभाग–6,
उ0प्र0 शासन।

विषयः **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 117/2024 News item titled "Nawabganj Bird Sanctuary Not (bird's) paradise lost yet but solace becoming a casualty" appearing in The Hindustan Times dated 25.12.2023 में पारित आदेश दिनांक 03.04.2024 के अनुपालन हेतु Nawabganj Bird Sanctuary के आस–पास के 100 मीटर क्षेत्र को ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 यथासंशोधित के नियम–3(5) के अन्तर्गत शान्त क्षेत्र घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 117/2024 News item titled "Nawabganj Bird Sanctuary Not (bird's) paradise lost yet but solace becoming a casualty" appearing in The Hindustan Times dated 25.12.2023 में पारित आदेश दिनांक 03.04.2024 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 06.04.2022 द्वारा जिलाधिकारियों को अस्पतालो, शैक्षणिक संस्थाओं, मा0 न्यायालयों एवं महत्वपूर्ण स्थलों के आस–पास कम से कम 100 मीटर के क्षेत्र को ध्वनि नियमों के प्रयोजन के लिये शांत क्षेत्र/परिक्षेत्र घोषित करने के संबंध में प्रस्ताव प्रेषित किये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये है। शासन का उक्त पत्र दिनांक 06.04.2022 बोर्ड को इस निर्देश के साथ पृष्ठांकित है कि संबंधित जिलाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर शांत क्षेत्र घोषित किये जाने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित कराया जाना सुनिश्चित करें (छायाप्रति संलग्न)।

ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 यथासंशोधित के प्राविधानों, मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 03.04.2024 एवं अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 06.04.2022 द्वारा जारी निर्देशों के अनुकम में जिलाधिकारी, उन्नाव के आदेश संख्या–206/सा0–312/2024 दिनांक 16.06.2024 द्वारा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 यथासंशोधित के नियम–3(5) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद–उन्नाव के शहीद चन्द्र शेखर आजाद वन अभ्यारण (Bird Century) के आस–पास कम से कम 100 मीटर के क्षेत्र को ध्वनि नियमों के प्रयोजन के लिये शांत क्षेत्र/परिक्षेत्र करने हेतु वर्गीकृत कर प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

जिलाधिकारी, उन्नाव द्वारा जनपद–उन्नाव के शहीद चन्द्र शेखर आजाद वन अभ्यारण (Bird Century) **के आस–पास 100 मीटर क्षेत्र को** ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 यथासंशोधित के नियम–3(5) के अन्तर्गत शान्त क्षेत्र घोषित किये जाने हेतु प्रस्ताव संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि जनपद–उन्नाव के शहीद चन्द्र शेखर आजाद वन अभ्यारण (Bird Century) **के आस–पास 100 मीटर क्षेत्र को** शांत क्षेत्र घोषित किये जाने हेतु शासन स्तर से आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(संजीव कुमार सिंह)
सदस्य सचिव

टी.सी.–12 वी, विभूति खण्ड,
गोमतीनगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेबसाइट -www.uppcb.com

TC-12-V, VibhutiKhand
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
web site www.uppcb.com

स्थलगनक ... Email 26/06/...

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, उन्नाव

पत्रांक 496Tc /29–2 उन्नाव, जून 26, 2024

Annexure- 06

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
उन्नाव।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–117/2024 New item titled "Nawabganj Bird Sanctuary Not (bird's) paradise lost yert but solace becoming a casually" appering in the Hindustan times dated 25-12-2023 में पारित आदेश 03.04.2024 के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, उन्नाव महोदय की अध्यक्षता मे आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या।

सन्दर्भ – आपका कार्यालय पत्रांक 205/सा0–312/2024 दिनांक 16.06.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में कार्यवृत्त के विन्दु सं0–4 की अनुपालन आख्या निम्न

[illegible] –

बिन्दु सं0	निर्देश	अनुपालन आख्या
1	2	3
4	वन अभ्यारण्य के समीप ध्वनि प्रदूषण के स्तर को कम किये जाने हेतु वन अभ्यारण्य के सड़क की ओर उचित चौड़ाई में वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जाये।	उक्त दिये गये निर्देशों के अनुपालन में क्षेत्रीय वन अधिकारी, नवावगंज द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 982/29–2 दिनांक 24.06.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि नवाबगंज स्थित शहीद चन्द्रशेखर आजाद पक्षी विहार के समीप ध्वनि प्रदूषण की समस्या को कम करने हेतु लखनऊ–कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के किमी0 41–43 के मध्य बायीं पटरी पर 250 पाकड़/पिलखन के पौधे ट्री गार्ड के साथ लगाये के साथ लगाये जा सकते हैं जो ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को कम करने में सहायक होंगे। उक्त वृक्षारोपण उच्च स्तर को बजट की मांग की गयी है, बजट प्राप्त होने के उपरान्त मय ट्री गार्ड सघन वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

भवदीया

(आरुषी मिश्रा)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
उन्नाव

ASO
26/06/2024

पत्रांक 496Tc/उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि - जिलाधिकारी महोदय, उन्नाव को उक्त के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(आरुषी मिश्रा)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
उन्नाव

संलग्नक–4

Annexure-07

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–117/2024 "News item titled Nawabganj Bird Sanctuary Not (bird's) paradise lost yet but solace becoming a casualty" appearing in the Hindustan Times dated 25-12-2023 titled में पारित आदेश दिनांक 03.04.2024 के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय, उन्नाव की अध्यक्षता में दिनांक 10.06.2024 को सायं 3.30 बजे वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में शहीद चन्द्र शेखर आजाद वन अभ्यारण (Bird Sanctuary) के सम्बन्ध में जिला स्तरीय समिति की निरीक्षण आख्या:–

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–117/2024 "News item titled Nawabganj Bird Sanctuary Not (bird's) paradise lost yet but solace becoming a casualty" appearing in the Hindustan Times dated 25-12-2023 titled में पारित आदेश दिनांक 03.04.2024 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय, उन्नाय द्वारा संबंधित विभागों के साथ बैठक की गई। उक्त बैठक में लिये गये निर्णयों के संबंध में जारी कार्यवृत्त के अनुसार जिलाधिकारी महोदय, उन्नाव द्वारा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 यथासंशोधित के नियम–3(5) के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ध्वनि नियमों के प्रयोजन के लिये शहीद चन्द्र शेखर आजाद वन अभ्यारण (Bird Sanctuary) शान्त क्षेत्र/परिक्षेत्र वर्गीकृत किया गया है। शहीद चन्द्र शेखर आजाद वन अभ्यारण (Bird Sanctuary) को ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 यथासंशोधित के अंतर्गत ध्वनि उत्पन्न करने वाली गतिविधियों के सम्बन्ध में वन्य अभ्यारण के आस–पास 100 मी0 की परिधि में शान्त क्षेत्र जिला स्तरीय समिति द्वारा दिनांक 26.06.2024 को निरीक्षण किया गया। वन्य अभ्यारण के 100 मी0 की परिधि में निम्न गतिविधियाँ पाई गई:–

- शहीद चन्द्र शेखर आजाद वन अभ्यारण (Bird Sanctuary) नवाबगंज, उन्नाव के पूरब दिशा में 66 मी0 की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग–25 से केवाना जाने वाली रोड स्थित है।
- उपरोक्त वन अभ्यारण (Bird Sanctuary) से पूरब–दक्षिण दिशा में 83 मी0 की दूरी पर केवाना रोड स्थित है।
- उपरोक्त के अतिरिक्त शहीद चन्द्र शेखर आजाद वन अभ्यारण (Bird Santuary) नवाबगंज, उन्नाव के 100 मी0 की परिधि में किसी प्रकार की गतिविधियाँ नहीं पाई गई।

निरीक्षण के समय अभ्यारण के 100 मी0 की परिधि में कोई आवादी स्थित नहीं है। संबंधित क्षेत्र के पुलिस थाने को अवगत कराया गया है कि वन अभ्यारण क्षेत्र के 100 मी0 की परिधि में ध्वनि उत्पन्न करने वाली गतिविधियों पर सतत् निगरानी रखी जाये, जिससे शान्त क्षेत्र के निर्धारित ध्वनि स्तर मानक को यथावत् बनाये रखने हेतु निर्माण कार्य व अन्य गतिविधि निषिद्ध की जाये।

27/06/24 **(अवनीश कुमार सिंह)** **प्रभारी निरीक्षक,** **थाना अजगैन,** **उन्नाव**	Mahesh 27/06/2024 **(महेश चन्द्र कश्यप)** **सहायक वैज्ञानिक अधिकारी,** **उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,** **उन्नाव**	27/6/24 **(पूर्णिमा तिवारी)** NT **नायब तहसीलदार** **उन्नाव**

Scanned with OKEN Scanner

Annexure - 08

REGIONAL OFFICE
U.P POLLUTION CONTROL BOARD
B -18/3, AVAS VIKAS COLONY,
UNNAO.

NOISE MONITORING REPORT

S.No.	Location	Geo-coordinates of location	Category	Date of Monitoring								
				27.04.2024	30.04.2024	04.05.2024	07.05.2024	11.05.2024	14.05.2024	18.05.2024	21.05.2024	25.05.2024
				Leq dB(A) Day Time (10:20AM to 12:40 PM)	Leq dB(A) Day Time (11:10AM to 01:00 PM)	Leq dB(A) Day Time (01:00PM to 03:00 PM)	Leq dB(A) Day Time (12:00PM to 02:30 PM)	Leq dB(A) Day Time (12:00PM to 02:10 PM)	Leq dB(A) Day Time (11:20AM to 01:40 PM)	Leq dB(A) Day Time (10:00AM to 12:30 PM)	Leq dB(A) Day Time (09:30AM to 11:40 AM)	Leq dB(A) Day Time (12:20PM to 02:40 PM)
1	Mid Area of Saheed Chandra Shekhar Azad Bird Sanctuary Nawabganj, Unnao	Lat-26.6082622 Long-80.652893	Silence Zone	51.2	50.4	51.4	50.6	50.8	51.7	47.6	48.8	50.9
2	South Area of Saheed Chandra Shekhar Azad Bird Sanctuary Nawabganj, Unnao	Lat-26.611103 Long-80.655693	Silence Zone	54.8	51.8	54.1	54.6	54.2	55.6	51.5	54.2	55.5
3	East Area of Saheed Chandra Shekhar Azad Bird Sanctuary Nawabganj, Unnao	Lat-26.61466 Long-80.65835	Silence Zone	55.4	55.6	54.5	56.6	58.1	57.7	56.1	55.0	56.5
4	Main Gate of Saheed Chandra Shekhar Azad Bird Sanctuary Nawabganj, Unnao	Lat-26.619266 Long-80.652899	Silence Zone	59.9	60.7	61.7	65.0	67.5	64.1	66.6	66.9	63.6
5	Police Chauki Near Saheed Chandra Shekhar Azad Bird Sanctuary Nawabganj, Unnao	Lat-26.618279 Long-80.665843	Commercial Area	68.4	70.0	66.7	70.9	72.2	72.5	73.8	74.3	72.8
6	Van Vibhag Guest House Near Saheed Chandra Shekhar Azad Bird Sanctuary Nawabganj, Unnao	Lat-26.617819 Long-80.647127	Commercial Area	63.5	63.9	63.7	63.1	61.2	62.5	60.8	61.1	62.5
7	Back Side Road of Saheed Chandra Shekhar Azad Bird Sanctuary Nawabganj, Unnao	Lat-26.6094900 Long-80.6562700	Commercial Area	51.6	52.9	52.9	51.1	49.5	50.2	47.1	48.1	50.4

Standards –

SL No.	Category of Area/ Zone	Limits in dB(A) Leq	
		Day Time 06.00 A.M. - 22.00 P.M.	Night Time22.00 P.M. - 06.00 A.M.
1	Industrial Area	75	70
2	Commercial Area	65	55
3	Residential Area	55	45
4	Silence Zone	50	40

P.S.A. 27/5/24   27/5/2024 (A.S.O)   27/05/2024 (R.O.)